राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 951/2025

बलवीर प्रसाद शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुंप–2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 26.09.1998 के आदेश द्वारा नर्स के पद पर नियुक्त किया गया था तथा उसे एमबीएच अस्पताल, उदयपुर में पदस्थापित किया गया तथा वर्ष 2000 में उसका स्थानांतरण एसएमएस अस्पताल, जयपुर में किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2002 में उसका स्थानांतरण सामान्य अस्पताल, करौली में किया गया तथा वर्तमान में अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सिटी डिस्पेंसरी, गणेश गेट, करौली में कार्यरत है। दिनांक 12.09.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर, सिटी डिस्पेंसरी, गणेश गेट, करौली के पद से पीआईसीयू एमसीएच विंग, करौली में स्थानान्तरित/पदस्थापित किया गया है, जिसे अपीलार्थी ने अपील संख्या 2918/2024 दायर कर चुनौती दी है, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 20.09.2024 को अन्तरिम आदेश पारित किया था तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी को सिटी डिस्पेंसरी, गणेश गेट, करौली में कार्य करने की अनुमति दी जाए। अन्तरिम आदेश दिनांक 20.09.2024 के अनुसरण में अपीलार्थी वर्तमान में सिटी डिस्पेंसरी, गणेश गेट, करौली में कार्यरत है। अपील अभी भी अधिकरण के समक्ष लम्बित है, जिसमें अगली सुनवाई 11.03.2025 को होगी। (अनुलग्नक–2) पिछली अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 15.01.2025 के आलौच्य आदेश के तहत फिर से स्थानांतरित कर दिया और

अपीलार्थी को जिला अस्पताल, करौली से 570 किलोमीटर दूर पीएचसी, चंपासर, फलोदी में बिना किसी प्रशासनिक कारण के स्थानांतरित कर दिया गया। (अनुलग्नक–1)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सिटी डिस्पेंसरी, गणेश गेट, करौली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में सिटी डिस्पेंसरी, गणेश गेट, करौली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला अस्पताल, करौली से पीएचसी, चंपासर, फलोदी में आदेश दिनाक 15–1–2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कर दिया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया। मंत्रीमंडल सचिवालय की विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2024 से यह स्पष्ट है कि चिकित्सा मंत्री को पंचायती राज के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया गया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। पूर्व में अपीलार्थी को व्यवस्था की दृष्टि से पीआईसीयू एमसीएच विंग करौली में लगाया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2918/2024 द्वारा इस आदेश के विरूद्ध स्थगन प्राप्त किया था। वर्तमान में आलौच्य आदेश द्वारा विधिवत सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपील संख्या 2918/2024 में चुनौती ग्रस्त आदेश से यह स्पष्ट है कि सीटी डिस्पेंसरी, गणेश गेट, करौली प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय करौली के अधीन है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। आलौच्य आदेश में हम नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। प्रशासनिक निर्णय/आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)